न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–60 सन् 2017

जय मंगल हजरा.....वादी।

बनाम

राम दयाल हजरा वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 22.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.12.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में वादी का डेफर साक्ष्य रामानंद हजरा द्वारा दिनांक 30.11.2021 को शेष प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय में हाजरी दिया गया। वही विपक्षीगण द्वारा समय आवेदन दाखिल किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य का प्रति परीक्षण हेतु बार–बार पुकार कराया गया परंतु प्रतिवादी द्वारा प्रति परीक्षण हेतु नहीं आने के कारण उक्त साक्ष्य को श्रीमान् के द्वारा बिना प्रति परीक्षण के उन्मुक्त कर दिया गया। प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 30.11.2021 को समय आवेदन दाखिल किया गया था। जिस कारण न्यायालय में प्रति परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हो सके। प्रतिवादी के तरफ से रामानंद हजरा का प्रति परीक्षण स्थिति वो परिस्थिति के कारण नहीं हो सका है। वादी का साक्षी रामानंद हजरा का प्रतिवादी के द्वारा अगर प्रति परीक्षण नहीं होता है तो प्रतिवादी को उक्त वाद में अपूर्णिय क्षति होगा। इसलिए रामानंद हजरा का प्रति परीक्षण प्रतिवादी के द्वारा करना न्याय के लिए जरूरी है। अतः निवेदन है कि वादी साक्षी रामानंद हजरा को गवाही हेतु रिकॉल करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दिनांक 22.08.2023 को दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी का आवेदन मंजूर के लायक नहीं है, बल्कि काबिल खारिज के है। साक्षी रामानंद हजरा की उम्र करीब 80 साल है और वह न्यायालय में दो दिन प्रति परीक्षण के लिए उपस्थित हुए लेकिन प्रतिवादी के तरफ से जानबूझकर

वादी को परेशान करने के लिए प्रति परीक्षण नहीं किया गया तो श्रीमान् के द्वारा दिनांक 30.11.2021 को गवाह को उन्मुक्त कर दिया गया। प्रतिवादी के तरफ से रामानंद हजरा का प्रतिपरीक्षण जानबूझकर नहीं कराया गया। वादी के गवाह को तंग वो परेशान करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। रामानंद हजरा साक्षी अभी अस्वस्थ हो गए हैं तथा न्यायालय में उपस्थित होने के लायक नहीं हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.12.2022 को खारिज करने की कृपा प्रदान की जाए

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी वादी साक्षी रामानंद हजरा को साक्ष्य हेतु रिकॉल करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। जबकि वादी का उक्त आवेदन के प्रतिउत्तर में कथन है कि साक्षी रामानंद हजरा की उम्र करीब 80 साल के है और अस्वस्थ्य है तथा न्यायालय में उपस्थित होने लायक नहीं है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी साक्षी रामानंद हजार न्यायालय में दो दिन प्रति परीक्षण के लिए उपस्थित हुए लेकिन प्रतिवादी के तरफ से जानबूझकर वादी को परेशान करने के लिए प्रति परीक्षण नहीं किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 को गवाह को उन्मुक्त कर दिया गया। प्रतिवादी पुनः वादी साक्षी रामानंद हजरा को साक्ष्य हेतु रिकॉल करना चाहते है, गवाह 80 वर्ष के है एवं अस्वस्थ्य है। ऐसी परिस्थिति में उनको बार–बार न्यायालय में बुलाना न्यायसंगत नहीं है। प्रतिवादी को समुचित मौका दिया जा चुका है एवं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रतिवादी वादी को परेशान करने तथा वाद को लिंगर करने के ख्याल से आवेदन दाखिल किया गया है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.12.2022 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।